निगरानी / टी.ए. / 2698 / 2025 / डीग
ओमप्रकाश बनाम सन्तोष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** उपस्थित– श्री आशीष जैन, अभिभाषक प्रार्थी **दिनांक : 09–05–2025** **निर्णय** यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 62 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 12–07–2024 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादीगण / अप्रार्थीगण के पिता फूलचंद व गोपाल ने धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कुम्हैर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी सं.2 गोपाल का देहान्त होने पर मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय डिक्री दिनांक 28–05–2024 द्वारा वादीगण का वाद अबेट किया जाकर खारिज किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–07–2024 द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2024 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विती को स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त अपील में मृतक वादी सं.2 गोपाल के वारिसान अप्रार्थी सं.5 से 7 को गलत पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वह रेकार्ड पर नहीं आये थे। दिनांक 03–06–2024 को जो आवेदन आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 3 सीपीसी में पेश करना बताया है, वह दावा दिनांक 28–05–2024 को पूर्व दावा अबैट कर दिये जाने के कारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मेन्टेनेबिल नहीं था और परीक्षण न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने एकतरफा में स्थगन आदेश जारी कर एक प्रकार से अप्रार्थीगण को आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल करने की खुली छुट प्रदान कर दी है। इस कारण पारित आदेश निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–07–2024 को निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, कुम्हैर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–05–2024 को यथावत रखने एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 12–07–2024 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–2024 की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित करते हुए विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं तथा शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया है। उक्त आदेश की प्रकृति पूर्णतया अन्तरिम है, जो केस डिसाइडेड की परिभाषा में नहीं आता है एवं जिसके विरूद्ध निगरानी संधारण योग्य नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मूल अपील विचाराधीन है, जिसका निस्तारण होना अभी शेष है। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर एक माह में प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	